

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE – EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

Dated the 26th March, 2007

No. F.14(8)/LA-07/LJ/07/535

NOTIFICATION

F.14(8)/LA-07/535 - The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 23rd March, 2007 and is hereby published for general information:-

**THE DELHI APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) ACT, 2007
(Delhi Act 5 of 2007)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 21st March, 2007)

[23rd March, 2007]

An Act to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the months of April to June, 2007.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (Vote on Account) Act, 2007.

**Vote on Account for
Rs. 4644,50,50,000/-
out of the
Consolidated Fund of
the National Capital
Territory of Delhi for
the months of
April to June, 2007.**

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees four thousand six hundred forty four crore fifty lakh and fifty thousand, towards vote on account for defraying the several charges which will come in the course of payment during the months from April to June, 2007 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.



THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

(Rs. in thousands)

SUMS NOT EXCEEDING

DEMAND NO.	SERVICES AND PURPOSES	Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2	3	4	5
1	Legislature Revenue	24532	1317	25849
2	General Administration Revenue	146377	6897	153274
3	Administration of Justice Revenue	306743	134450	441193
4	Finance Revenue	211075	0	211075
5	Home Revenue	344750	1325	346075
	Capital	1250	0	1250
6	Education Revenue	4593624	2063	4595687
	Capital	231175	0	231175
7	Medical and Public Health Revenue	3132212	500	3132712
	Capital	158750	0	158750
8	Social Welfare Revenue	874858	0	874858
	Capital	5194575	0	5194575
9	Industries Revenue	193495	50	193545
	Capital	597225	0	597225
10	Development Revenue	830028	3203	833231
	Capital	398475	1250	399725
11	Urban Development and Public Works Revenue	7472993	0	7472993
	Capital	11986513	0	11986513
	Public Debt. Revenue	0	6671820	6671820
	Capital	0	2917275	2917275
12	Loans to Government Servents Capital	6250	0	6250
Total		36704900	9740150	46445050



(Signature)
(Rakesh Syal)

Joint Secretary (Law, Justice and Legislative Affairs)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
8 वां तल, सी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 एस्टेट, नई दिल्ली

संख्या फा0 14(8)/एल.ए.-07/एल.जे/07/535

दिनांक 26 मार्च, 2007

अधिसूचना

संख्या फा0 14 (8)/एल. ए.-07/एल.जे/07/535 - उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 23 मार्च, 2007 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

दिल्ली विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2007
(2007 का दिल्ली अधिनियम संख्या 5)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा द्वारा 21 मार्च, 2007 को यथापारित)

[23 मार्च, 2007]

अप्रैल से जून, 2007 माह से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

इसे भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए :-

संक्षिप्त शीर्षक ।

(1) इस अधिनियम को दिल्ली विनियोग (लेखा अनुदान) अधिनियम, 2007 कहा जाए।

4644,50,50,000/- रुपयों का (2) लेखा अनुदान अप्रैल से जून, 2007 माह के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए चार हजार छः सौ चवालीस करोड़ पचास लाख पचास हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में अप्रैल से जून, 2007 माह की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन ।

(3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों के लिए प्रयुक्त होगी।

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

मांग संख्या	सेवायें एवं उद्देश्य	विधान सभा द्वारा संचित निधी पर स्वीकृत	भारित	जोड़
1	2	3	4	5
1	विधान मण्डल	राजस्व 24532	1317	25849
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 146377	6897	153274
3	न्याय प्रशासन	राजस्व 306743	134450	441193
4	वित्त	राजस्व 211075	0	211075
5	गृह	राजस्व 344750 पूंजी 1250	1325 0	346075 1250
6	शिक्षा	राजस्व 4593624 पूंजी 231175	2063 0	4595687 231175
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व 3132212 पूंजी 158750	500 0	3132712 158750
8	समाज कल्याण	राजस्व 874858 पूंजी 5194575	0 0	874858 5194575
9	उद्योग	राजस्व 193495 पूंजी 597225	50 0	193545 597225
10	विकास	राजस्व 830028 पूंजी 398475	3203 1250	833231 399725
11	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व 7472993 पूंजी 11986513	0 0	7472993 11986513
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व 0 पूंजी 0	6671820 2917275	6671820 2917275
12	सरकारी कर्मचारियों को ऋण	पूंजी 6250	0	6250
	जोड़	36704900	9740150	46445050

(राकेश स्याल)
(राकेश स्याल)

संयुक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)